

Form LTC

[Rule 163E (6)]

06/CMT/Pol.-31/2016

**Form of License to Establish Pollution Testing Station.**

License No. 297/2016

Dated : 18/10/16

1. A License is hereby granted to Sri Sanjay Kumar, S/O- Late Deonath Prasad Singh Behind Mandap Vivah Bhawan, Sanjay Cinema Road, PO.- M.I.T, Brahampura, Muzaffarpur, Pin- 842003 to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building M/S Mithila Highway Service Station, Ahiyapur, Muzaffarpur. The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

- (a) Petrol
- (b) Diesel
- (c) Petrol Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : 20-10-2016 to 19-10-2018

Date :

Seal :

*Amol Kumar*  
18/10/16  
विशेष सचिव  
Signature of Licensing Authority  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

The license is hereby renewed from ..... to .....

(Signature of License Authority)

जापोक्र

6196

पटना विनांक

18/10/16

प्रतिपत्रिका : श्री संजय कुमार, पिता स्व० देवनाथ प्रसाद सिंह, मंडप विवाह भवन के पीछे, संजय सिनेमा रोड, पो० एम.आई.टी., ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, पिन 842003 को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आर.टी. एम.एच को विभागीय वेबसाइट पर डायनेम हेतु प्रसन्नार्थ प्रेषित।

*Amol Kumar*  
18/10/16  
विशेष सचिव  
(Signature of Licensing Authority)

RE:

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

## शर्तें:-

1. एक मासिक भेजी जायेगी जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जांच किये गये मोटर वाहनों को विग्राहियों का उल्लेख रहेगा ।
- (i) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या ।
- (ii) जांच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष ।
- (iii) निरीक्षण के समय गैस/धुएं का स्तर/कार्बन मोनाऑक्साइड का प्रतिशत ।
2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना ।
3. अपने केंद्र मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना साथ ही केंद्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना ।
4. मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन ।
5. विहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 163 ग के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना ।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जांच केंद्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना ।
7. प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच शाघ्र की जायगी तथा उन्हें जांच केंद्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देगा ।
8. प्रदूषण जांच केंद्र का मालिक चलान को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केंद्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे ।
9. प्रदूषण जांच केंद्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी ।
10. अनुज्ञापनकारी को विभागीय अधिमूचना सं० 3144 दिनांक 05.08.04 एवं विभागीय परिपत्र सं० 4064 दिनांक 12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा ।
11. अनुज्ञापनकारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा ।
12. प्रदूषण जांच केंद्र में वेव-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा । उपर्युक्त में स किर्मा भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।